पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

आपराधिक विविध संख्या-20465, वर्ष-2016

थाना कांड संख्या-3688 वर्ष-2015, थाना-पटना शिकायत वाद, जिला-पटना

==========

1. संजीव कुमार और अन्य, पुत्र-स्व. गुलाब चंद्र शराफ, निवासी
2. शिवेश नारायण, पुत्र-श्री ईश्वर नारायण, निवासी
3. नवीन कुमार, पुत्र-श्री नवल किशोर सिंह, निवासी
4. अक्षय कुमार, पुत्र-स्व. लल्लू प्रसाद, सभी कार्लो ऑटोमाबाइल प्राइवेट लिमिटेड, बोरिंग रोड, पी.एस.-एस.के.पुरी, जिला-पटना

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. पुष्पलता कुमारी, पुत्री-कृष्ण प्रसाद के निवासी गली नंबर-4, महंत हुनमान शरण कॉलेज, एल.सी.टी. घाट, थाना-पाटलिपुत्र कॉलोनी, पोस्ट-पाटलिपुत्र कॉलोनी, जिला-पटना

.... विपरीत पक्ष/ओं

==========

के साथ

आपराधिक विविध संख्या-22098, वर्ष-2016

थाना कांड संख्या-3688 वर्ष-2015, थाना-पटना शिकायत वाद, जिला-पटना

==========

गौरव रंजन, श्री रामानुज सिंह के पुत्र, के निवासी मकान नंबर-143, शीतल सदा, उत्तरी आनंदपुर, थाना-एस.के. पुरी, जिला-पटना-800001

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. पुष्पलता कुमारी, पुत्री-कृष्ण प्रसाद के निवासी गली नंबर-4, महंत हुनमान शरण कॉलेज, एल.सी.टी. घाट, थाना-पाटलिपुत्र कॉलोनी, पोस्ट-पाटलिपुत्र कॉलोनी, जिला-पटना

.... विपरीत पक्ष/ओं

==========

उपस्थितिः

(2016 की आपराधिक अपराध संख्या 20465 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री तुहीन शंकर, अधिवक्ता
	:	श्री गोपाल कुमार, अधिवक्ता
	:	सुश्री सिमरन कीर्ति, अधिवक्ता
ओ. पी. नंबर 2 के लिए	:	श्री रंजन कुमार सिंह, अधिवक्ता
	:	श्री राजेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री नवीन कुमार पाण्डेय, एपीपी

(2016 की आपराधिक अपराध संख्या 22098 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री तुहीन शंकर, अधिवक्ता
	:	श्री गोपाल कुमार, अधिवक्ता
	:	सुश्री सिमरन कीर्ति, अधिवक्ता
ओ. पी. नंबर 2 के लिए	:	श्री रंजन कुमार सिंह, अधिवक्ता
	:	श्री राजेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री नवीन कुमार पाण्डेय, एपीपी

==========

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – परिवाद मामला के संज्ञान वाले आदेश को अभिखंडित करना जिसमें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारओं 355, 506, 379 साथ में धारा 34 पढ़ा जाए – परिवादी एक कंपनी में बिक्री कार्यकारी थी जहाँ पर अन्य अभियुक्त उच्च पद के अधिकारी थे – परिवादी का आरोप है कि अभियुक्त ने उस पर हमला किया और अवैध संबंध बनाने की कोशिश कि गई और उसे डराया/धमकाया भी गया – परिवाद मामला दर्ज होने से पहले, अभियुक्त ने परिवादी पर एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दायर करवाई थी कि परिवादी ने जाली और घोखाधड़ी दस्तावेज के आधार पर एक नई कार की की गलत डिलीवरी/वितरण कर दिया है – परिवाद मामला गलत और अप्रत्यक्ष उद्देश्य से जवाबी उपायों के रूप में दर्ज कराई गई है - मुख्य मुद्दे का समर्थन, परिवादी ने अपने सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान में भी नहीं किया है – भजन लाल के मार्गदर्शक सिद्धांत संख्या 1,5 और 7 का अनुसरण/पालन करते हुए संज्ञान आदेश , जिसके सभी परिणाम कार्यवाहियों के साथ अपास्त और अभिखंडित किया जाता है – आवेदन अनुज्ञात किया गया।

(पारा 4, 8, और 9)

(1992) अनुपूरक (1) एस.सी.सी 335 – ***निर्भर किया गया।***

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीख: 09-04-2024

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान रद्द करने वाली याचिका को 2015 के शिकायत मामला संख्या 3688 (सी) में पारित दिनांकित 28.01.2016 आदेश को रद्द करने के लिए प्राथमिकता दी गई है, जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पटना ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 355,506 और 379/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया।

3. शिकायत याचिका से यह प्रतीत होता है कि पुष्पलता कुमारी द्वारा दायर किए गए मुद्दे में शिकायत का मामला, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मेसर्स कार्लो ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड में बिक्री कार्यकारी के रूप में काम कर रही थी। शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि 06.05.2015 पर जब उसका भाई उससे मिलने आया तो उसे बिक्री प्रबंधक, गौरव रंजन ने अपने कार्यालय के केबिन में अभियुक्तों में से एक द्वारा बुलाया गया था, जहाँ आरोपी नंबर 2 से 5 पहले से ही मौजूद थे जिन्होंने हमला किया था। उसने उसके साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश की लेकिन उसके भाई के हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं कर सकी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों ने उसे धमकी दी कि क्योंकि उसने उनके साथ संबंध नहीं बनाए तो वे उसे खतरे में डाल देंगे। शिकायतकर्ता द्वारा आगे कहा गया है कि उसकी सेवा अवधि के दौरान यानी 25.05.2015 पर बिक्री प्रबंधक, गौरव रंजन ने अवधेश सिंह को एक स्विफ्ट डिजायर कार दी। यह आगे कहा गया है कि न तो वह उक्त कार की डिलीवरी से जुड़ी थी और न ही उसे उसके भुगतान के बारे में कोई जानकारी थी और न ही उसका कर्तव्य था, लेकिन शिकायतकर्ता पर हमला करने और उसका शोषण करने के गलत इरादे के कारण उक्त गौरव रंजन और अन्य याचिकाकर्ताओं ने 2015 का एस. के. पुरी पुलिस मामला संख्या

256 दिनांकित 15.7.2015 वाली शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया। यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी नंबर 1 ने जबरन नंबर 8507591419 और 9308525100 वाला मोबाइल फोन छीन लिया और उसे वापस नहीं किया और जबरन सादे कागज पर उसके हस्ताक्षर ले लिए और अपने साथ रख लिया। यह आगे कहा गया है कि जब शिकायतकर्ता को एस. के. पुरी मामले के बारे में पता चला, शिकायतकर्ता ने एस. एस. पी. पटना को शहर के एस. पी. और डिप्टी एस.पी. सचिवालय को एक प्रति के साथ जवाब सह शिकायत दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया और वर्तमान शिकायत मामला दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। बाद में शिकायतकर्ता से 10.11.2015 पर परम पुष्टि पर पूछताछ की गई और उसकी ओर से चार गवाहों को भी पेश किया गया, जिनमें राजू कुमार, शिकायतकर्ता के भाई, कृष्ण प्रसाद, शिकायतकर्ता के पिता, रेणु सिंह, उसकी पूर्व सहयोगी और मेसर्स कार्लो ऑटोमोबाइल की पूर्व कर्मचारी और सिद्धेश्वर प्रसाद, उसके मामा शामिल थे।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ओ. पी. नंबर 2 मैसर्स कार्लो ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी था, जहाँ सभी याचिकाकर्ता उच्च पद के कार्यकारी थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब ओ. पी. नंबर 2 ने याचिकाकर्ताओं को कोई आधिकारिक जानकारी दिए बिना जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज बनाकर एक कार बेची, तो सह-द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था। ओ. पी. नं. 2 के विरुद्ध अभियुक्त गौरव रंजन और कथित मामले का प्रतिकार करने के लिए गलत और अप्रत्यक्ष उद्देश्य के साथ जवाबी कार्रवाई के रूप में वर्तमान शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे रद्द करने और दरकिनार करने के लिए उपयुक्त है।

5. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामला सह-अभियुक्त गौरव रंजन द्वारा 2015 का एस. के. पुरी पी. एस. मामला संख्या 256 दिनांक 15.07.2015 दर्ज करने के साढ़े तीन महीने (लगभग 105 दिन) के बाद दर्ज किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सभी जांच गवाह ओ. पी. नंबर 2 के रिश्तेदार हैं। वे भौतिक पहलुओं पर भी एक-दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तर्क का समापन करते हुए विद्वान वकील ने राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया **हरियाणा और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य ने 1992 सप्लीमेंट (1) सुप्रीम कोर्ट के मामलों 335 में रिपोर्ट की।**

6. ओ. पी. नं. 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने पटना उच्च न्यायालय सी. आर. को ध्यान में रखते हुए आवेदन का विरोध करते हुए ए. पी. पी. को विधिवत सहायता प्रदान की। सह-अभियुक्त गौरव रंजन द्वारा मोबाइल फोन छीनने का आरोप, *प्रथम दृष्टया,* याचिकाकर्ताओं और सह-अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ चोरी का मामला बनता है और इस तरह संज्ञान के विवादित आदेश को कानून की नजर में बुरा नहीं कहा जा सकता है।

7. पैराग्राफ नं. को पुनः प्रस्तुत करना भी उचित होगा। **भजन लाल मामले (उपर्युक्त)** का 102, जो इस प्रकार हैः

> "102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्याउसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।" और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से व्यवस्थित और लचीले दिशानिर्देशों को निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है। कठोर सूत्र और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना जिसमें इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।
>
> (1) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए, यह प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचनादाता रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य शून्य अपराध का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम, पटना उच्च न्यायालय सी. आर. में एक विशिष्ट प्रावधान है, पर एक स्पष्ट कानूनी रोक है। पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करना।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहां

> कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।"

8. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि माना जाता है ओ. पी. संख्या 2 याचिकाकर्ताओं का कर्मचारी था, जहां शिकायत दर्ज करने से पहले, जाली और धोखाधड़ी वाले दस्तावेज के आधार पर नई कार की गलत डिलीवरी के लिए, सह-आरोपी गौरव रंजन ने 2015 का एस. के. पुरी पी. एस. मामला संख्या 256 के रूप में मामला दर्ज किया, जिसमें सुझाव दिया गया कि वर्तमान शिकायत गलत और अप्रत्यक्ष उद्देश्य से जवाबी उपायों के रूप में दर्ज की गई थी। ऐसा भी प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ, जो मैसर्स कार्लो ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड में उच्च पद के कार्यकारी हैं, *प्रथम दृष्टया* कोई मामला नहीं बनता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अवैध शारीरिक संबंध स्थापित करने के प्रयास के रूप में मुख्य मुद्दे का समर्थन शिकायतकर्ता द्वारा भी उसके एस. ए. के माध्यम से नहीं किया गया था। तदनुसार, दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए पैरा संख्या 1,5 और 7, में उल्लिखित है। **भजन लाल (उपरोक्त)** के दिनांक 28.01.2016 के संज्ञान के विवादित आदेश को, इसकी सभी परिणामी कार्यवाही के साथ, 2015 के शिकायत मामला संख्या 3688 (सी) में पारित याचिकाकर्ताओं के रूप में, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पटना के समक्ष लंबित, इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

9. आवेदन की अनुमति है।

10. इस फैसले की एक प्रति तुरंत विद्वत निचली अदालत को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

एस.त्रिपाठी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।